रजिस्टर्ड नं० पी/एस०एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 14 मई, 1988/24 वैशाख, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 फरवरी, 1988

संख्या 8-158/73-डी०पी० (नि०-I) भाग III.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 306 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हि०प्र० लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से, डिमोबिलाईज्ड भारतीय सैनिक सेवा कर्मचारी (हि०प्र० प्रशासनिक सेवा आसामियों में आरक्षण) नियम, 1974 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम सहर्ष करते हैं, अर्थात्:—

1. **Short title and commencement.**—These rules may be called the Demobilised Indian Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal Paadesh Administrative Services) First Amendment, Rules, 1988.

2. **Amendment in Rule-4.**—These shall come into force *w.e.f.* 1-8-1985 for the existing clause (*c*) of rule 1 of rule 4 of the Demobilised Indian Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh Administrative Services) Rules, 1974, the following clause (*c*) of sub-rule (1) of rule 4 shall be substituted, namely:—

"(*c*) a military personnel already appointed in civil employment against a reserved post under any State/Central Government, on his subsequent appointment to the Himachal Pradesh Administrative Service on the basis of competitive examination shall not be eligible for benefit of fixation of pay and seniority in the service (Himachal Pradesh Administrative Service) under sub-rule (1) of rule "4"

B. C. NEGI,
Chief Secretary.

LANGUAGE, ARTS AND CULTURE DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 25th April, 1988

No. **Bhasha-A (3)-2/86.**—In this Department Notification of even number, dated the 23rd October, 1987, *the word* "be" may be *inserted* between the word "to" and "considered" appearing in 3rd line from below in Rule 17 (3) to the attached Annexure-I.

M. K. KAW,
Financial Commissioner-cum-Secretary.

कार्यालय जिलाधीश, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि० प्र०)

अधिसूचना

बिलासपुर, 28 अप्रैल, 1988

संख्या वी एल एस-एम ए-14(13)/86.—समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 दिसम्बर, 1987 शाह तलाई मन्दिर समूह के अन्तर्गत पड़ने वाले मन्दिर, (1) मेन मन्दिर शाह तलाई, (2) दूसरा मन्दिर शाह तलाई, (3) मन्दिर वट वृक्ष, (4) मन्दिर बाबा बालक नाथ सराये दिल्ली वालों की गुरुना झाड़ी मन्दिर के समीप, (5) मन्दिर गुरुना झाड़ी, (6) मन्दिर बालक नाथ जी सराये लधियाना वाले, (उप-मण्डल घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश को जनहित के लिए हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की अनुसूची-1 में शामिल करना अपेक्षित है।

2. जबकि ऐसा करने से पहले यह जरूरी है कि इस बारे आम जनता तथा इस समय के हकदारों/प्रबन्धकों की राय ली जाए। अतः समस्त हितबद्ध व्यक्ति, आम जनता, पुजारी/बारीदार और हिस्सेदार वगैरा जिसे उक्त मन्दिर समूह में पड़ने वाले मन्दिर को अनुसूची-1 में शामिल करने पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर-भीतर अपनी-अपनी आपत्ति लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दायर कर सकता है।

हस्ताक्षरित/-
जिलाधीश, बिलासपुर,
जिला बिलासपुर (हि० प्र०)।

तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

शिमला, 6 मई, 1988

संख्या एस0 टी0 बी0 (टी0 ई0) एच (1) 6/87.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः गांव भरनांग, मौजा मती मोरियां, तहसील व जिला हमीरपुर में क्षेत्रीय इन्जिनीयरिंग कालेज की स्थापना हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विनिर्देश में विनिर्दिष्ट किया है, उपर्युक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जिनका इससे सम्बन्ध है, यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भूमि अर्जन समाहर्ता (उपमण्डल अधिकारी सिविल), हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि यह उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश प्राप्त करें;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देते हैं कि मामला अत्यावश्यक होने के कारण भूमि अर्जन समाहर्ता (उप-मण्डल अधिकारी सिविल), हमीरपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन जारी नोटिस के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् निर्धारित भूमि का कब्जा ले लें।

भूमि का रेखांक भूमि अर्जन समाहर्ता (उपमण्डल अधिकारी सिविल), हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षित किया जा सकता है :—

विनिर्देश

जिला	तहसील	टीका गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र कनाल	मरला
1	2	3	4	5	6
हमीरपुर	हमीरपुर	भरनांग मौजा मती मोरियां।	425	3	02
			426	3	01
			427	1	07
			428	5	14
			429	2	02
			430	4	17
			431	0	04
			432/1	5	01
			433	2	19
			439	8	02
		कित्ता ..	10	36	09

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त एवं सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171 005 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।